न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 16/23 GCMS NO 2023/31

1. नत्थूसिह पुत्र देवीसिह जाति गुर्जर निवासी महूखुर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मूलचंद उर्फ मूडया पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी महूखुर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. लीलादेवी पत्नि बच्चूसिह
3. जितेन्द्र पुत्र बच्चूसिह
4. राजेन्द्र पुत्र बच्चूसिह जातियान गुर्जर निवासीयान महूखर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. उप पंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 331/21 निर्णय दिनांक 1.2.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री रविशंकर सैनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री ललित कुमार शर्मा

दिनांक 30.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 1.2.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांट नत्थू सिह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी व आदेश 9 नियम 7 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल खसरा न0 183 रकबा 0.17 है0, 184 रकबा 0.21 है0, 205 रकबा 0.21 है0, 205 रकबा 0.16 है0, 206 रकबा 0.15 है0, कुल किता 4 कुल रकबा वादी व माता रामप्यारी गैरसायल संख्या 1 व बच्चूसिह की खातेदारी की भूमि रही है। जिसमे सायल का व उसकी मां का 1/4, 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित रहा है। वादग्रस्त भूमि गंगापुर सिटी शहर के नजदीक है तथा [illegible] गैरसायल न0 1 द्वारा बच्चूसिह व उसके वारिसान से साज करके उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] अनरजिस्टर्ड दस्तावेजो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। [illegible] मे प्राथी व उसकी मां की प्रोंपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तामिल नही कराई गई है ना ही करवाने का प्रयास किया गया है तथा इन्कारी करने पर चस्पादगी से तामिल बताई गई है जो कि विधिक प्रावधानो की अवलेहना कर करवाई गई है ना ही तामिल कुनिन्दा द्वारा हलफिया रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वे गवाह कहॉं के निवासी है तथा किसी पडौसी के हस्ताक्षर नही करवाये है तथा गैरसायल संख्या 1 द्वारा सायल की भूमि को हडपने के उद्वेश्य से तामिल कुनिन्दा से साज कर उक्त तामिल विधिक प्रावधानो की अवहेलना कर फर्जी तरीके से करवाई है। दिनांक 29.11.12 को कोई तामिल कुनिन्दा सायल व उसकी मां के पास घर पर नही आया ना ही सायल व उसकी मॉं क्यो नोटिस लेने से इन्कार करते जिससे ही स्पष्ट है कि वादी द्वारा गलत तरीके से तामिल कुनिन्दा से साज कर उक्त तामिल करवाई है। उक्त भूमि से सायल व उसकी मां 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित था किन्तु वादी द्वारा सायल की भूमि को हडपने के उद्वेश्य से उक्त साजिशी वाद प्रस्तुत किया तथा उसके जरिये सायल व उसकी मां का काफी हिस्सा कम किया गयो जो विधिक नही है। वादी द्वारा जिन दस्तावेज व जिस विधि के तहत जिस प्रकिया से वाद प्रस्तुत किया गया पर कानून संचलन योग्य नही था किन्तु वादी द्वारा सायल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बच्चूसिह के वारिसान से साज कर उक्त दावा गलत तरीके से डिकी करवा लिया जो निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जें काश्त की भूमि से संबंधित रहा है जिससे प्रार्थी को न्यायहित मे सुना जाना आवश्यक था किन्तु गैरसायल संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की फर्जी तामिल करवाकर प्रार्थी के विरूद्व एक तरफा आदेश पारित करवा दिये गये व गलत आधार पर तथ्यो को छिपाकर न्यायालय से डिकी प्राप्त कर जी जो निरस्तनीय है। यदि प्रार्थी की प्रकरण मे प्रोपर तामिल करवाई जाती है व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो प्रार्थी न्यायालय मे अपना पक्ष रखता व वादी के गवाहान व दस्तावेज बाबत जिरह करता जिससे समस्त प्रकरण की सच्चाई माननीय न्यायालय के समक्ष आती किन्तु वादी द्वारा प्रार्थी की प्रकरण मे प्रोपर तामिल करवाये बिना निर्णय व डिकी पारित करवाई है जो निरस्तनीय है। इस्तगत प्रकरण मे वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किये है जिन्हे प्रदर्श करवाया है जबकि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज कानूनन साक्ष्य मे ग्राहय नही है ना ही राजस्व न्यायालय उनके आधार पर कोई निर्णय व डिकी एक पक्षीय रूप से पारित किये है जो निरस्तनीय है। वादी व बच्चूसिह के वारिस आपस मे मिले हुए है जो कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है तथा माता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी को कायम मुकाम का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था किन्तु वादी द्वारा गलत तरीके से कायम मुकाम की कार्यवाही नही कर मात्र नाम हजफ करवाया गया चूकि यदि नोटिस जाता तो वादी की उक्त साजिशी कार्यवाही की पोल खुल जाती वादी ने प्रार्थी की जायदाद को हडपने के लिए गलत तरीके से उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थी भूमि मे 1/2 का रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार का सुना जाना आवश्यक है उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है। प्रार्थी को दिनांक 27.11.12 को तामिल की कार्यवाही व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 27.11.12 व एक तरफा निर्णय व डिकी की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी दिनांक 27.1.21 को जब प्रार्थी भूमि की सार संभाल कर रहा था तो गैरसायल द्वारा ... की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई व कहॉं कि अब तुम भूमि खाली करो इस पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ व प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ने इसका विरोध किया व कहा कि यह भूमि मेरी खातेदारी की है आप ऐसा कहने वाले कौन हो तो गैरसायल संख्या 1 ता 4 ने कहा कि हमने कय की भूमि मे फेर बदल करवा ली तुम्हे पता भी नही तो प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तथा राजस्व कर्मचारियो से जानकारी करने पर उक्त निर्णय व डिक्री बाबत जानकारी दी तथा प्रार्थी ने नकल प्राप्त की जिससे समस्त प्रकरण की जानकारी हुई इस कारण जानकारी से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है किन्तु सर्तकतावश धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को न्यायहित मे कण्डोन फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है न्यायहित मे सस्ते व सुलभ न्याय की प्राप्ती हेतु प्रार्थी को प्रकरण मे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तो प्रार्थी वादो की बाहुलता मे फंस जावेगा। इस कारण प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। मुताबिक निर्णय व डिक्री मे प्राप्त भूमि व वादी को प्राप्त भूमि के रकबे व मूल्य मे काफी अंतर है। वादी ने गलत तामिल करवाकर कीमती व ज्यादा भूमि प्राप्त की है जो कि कानूनन संभव नही है वादी व प्रार्थी सहखातेदार है तथा विभाजन सरस नरस से किया जाना था किन्तु उसके बावजूद उक्त निर्णय व डिक्री गलत रूप से पारित की है। जो निरस्तनीय है। तामिल कुनिन्दा को पडोसी की साक्ष्य लेनी चाहिए थी तथा दो स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति मे चस्पा किया जाना चाहिए था। नोटिस मे वर्णित व्यक्ति आस पास के नही है तथा तामिल कुनिन्दा ने स्वयं ने ही उनके नाम लिखे है तथा तामिल कुनिन्दा ने वादी से साज कर उक्त कार्यवाही अविधिक रूप से की है जो निरस्तनीय है। इन्कारी की सूरत मे तामिल अदम आनी चाहिए तथा न्यायालय के आदेश के बाद ही चस्पा की जा सकती है। तथा रजिस्ट्री व अखबार के साया के आदेश पारित किये जाने चाहिए थे प्रथम बार मे चस्पादगी व इन्कारी का नोट डालकर तामिल करना तामिल कुनिन्दा व वादी की विश्वासनीयता का प्रश्न खडा करता है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण मे प्रार्थी की प्रोपर तामिल नही की गई है ना ही प्रार्थी को सुना गया है इस कारण न्यायहित मे प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। वादी द्वारा न्यायालय को मुगालते मे रखकर तथा अविधिक कार्यवाही कर उक्त निर्णय व डिक्री एक तरफा प्राप्त किये जो निरस्तनीय है। वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण संदेहास्पद परिस्थितियो कानून प्रकिया का दुरूपयोग कर अविधिक तरीके से न्यायालय से तथ्यो को छिपाकर एक तरफा डिक्री करवाया है। इस करण उक्त निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। प्रकरण मे ना तो स्वतंत्र साक्षी रहे है ना ही उसने जिरह की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के विरूद्व पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 29.11.12 व एक पक्षीय निर्णय दिनांक 19.1.21 निरस्त किया जावे व प्रार्थी को न्यायहित मे सुनवाई कर युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। इस प्रकार की इस्तदुआ प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मिशल के तथ्यो व विधि के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश सेट फोर्म पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्जी दस्तावेजो को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलांट ने उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की थी तथा रेस्पो0 द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया था ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया था किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से अपीलांट के प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर मानने मे भारी विधिक भूल की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई डिक्री दिनांक 29.1.21 अपीलांट को बिना सुने पारित की गई थी उक्त आलोच्य आदेश के अविधिक रूप से पारित किया गया था इस कारण अविधिक डिक्री को निरस्त कराने हेतु कानूनन कोई मियाद निर्धारित नही की गई है। किन्तु उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानकर भारी विधिक भूल की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री अनरजिस्टर्ड व फर्जी दस्तावेजो के आधार पर पारित की गई थी जिसे पारित करने को मात्र सिविल कोर्ट को अधिकार है किन्तु उसके बाबजूद भी प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व पारित की गई एक पक्षीय डिक्री को सही ठहराया है तथा बिना विधिक विवेचन किये सरसरी तौर पर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दस्तावेजो की नकल चाहने हेतु 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका जबाब भी रेस्पो0 द्वारा दिया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई किये बिना जल्दबाजी मे उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील नही कराई है जो पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य से बखूबी साबित है तथा जिस तामील को प्रोपर माना गया है वह विधि अनुसार नही है। किन्तु उसके बाबजूद भी उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार रहा है किन्तु उसके बाबजूद भी उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री दी गई थी कानूनन राजस्व न्यायालय को इस तरह की डिक्री जारी कर किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने का कोई अधिकार नही है । उक्त निर्णय व डिक्री क्षैत्राधिकार से [illegible] पारित की गई थी। किन्तु उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थ[illegible] करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार [illegible] जाकर अपीलाधीन निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 1.2.23 मुकदमा न0 331/2021 निरस्त फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 29.1.21 एवं एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 29.11.12 को अपास्त फरमाया जाकर वाद पत्र की गुणावगुण पर सुनवाई करके निर्णय पारित करने का आदेश पारित फरमाया जावे तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। ताकि अपीलांट को न्याय मिल सके।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट नत्थूसिह व उसकी मां रामप्यारी का वादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई किसी तरह का सरोकार नही रहा है। मगर राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम गलत तरीके से दर्ज होने के कारण वादी मूलचंद द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का सही प्रकार से पेश किया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद अवलोकन रिकार्ड व साक्ष्य वादी का दावा डिक्री किया गया है। अपीलांट नत्थूसिह के पिता देवीसिह व उसके भाई रघुवीर सिह द्वारा 1 बीघा 11 विस्वा भूमि पूर्व मे ही रामधन खाती को विक्रय की जा चुकी थी शेष हिस्से की भूमि को अपीलांट नत्थूसिह व उसकी मां द्वारा देवप्रकाश को विक्रय कर दी गई। इस तरह उक्त वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट नत्थूसिह व उसकी मां रामप्यारी का किसी तरह का कोई हिस्सा या हक नही रहा मगर राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण वादी मूलचंद द्वारा विधि अनुसार दावा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। जो न्यायालय द्वारा विधिक रूप से डिक्री किया गया। रेस्पो0 द्वारा किसी से कोई साज नही किया गया है बल्कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन ही वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया है। अपीलांट का यह कथन गलत एवं निराधार है कि उनको भिजवाये गये सम्मनो की तामिल प्रोपर नही हुई है जबकि वास्तविकता यह है कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भिजवाये गये सम्मनो को लेने से इंकार किया गया है। जिसकी इन्कारी की रिर्पोट तामिल कुनिन्दा द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है। अपीलांट व उसकी मां रामप्यारी द्वारा जब सम्मन लेने से इंकार किया गया था तो तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि सम्मत तरीके से दो स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति मे चस्पादगी कराई गई है। अपीलांट द्वारा तामिल कुनिन्दा पर गलत आक्षेप लगाये गये है। मूल दावे की पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपीलांट व रामप्यारी की तामिल प्रोपर रूप से कराई गई है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिनस्थ न्यायालय मे बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने पर ही विधि अनुसार उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। अपीलांट व उसकी मां रामप्यारी का वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा नही था राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम गलत दर्ज हुआ है। उनका भूमि मे जो हिस्सा था उनके व उनके पूर्वजो द्वारा पूर्व मे ही विक्रय किया जा चुका था। जब अपीलांट व उसकी मां का उस भूमि मे कोई हिस्सा ही नही था तो तथाकथित हिस्से को हडपने जैसी कोई वात ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया है। अपी[illegible] गलत तरीके से आक्षेप लगाये गये है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट व उसकी मां [illegible] की भूमि नही रही है। केवल राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम गलत दर्ज हुआ है। [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रिकार्ड का अवलोकन कर दुरूस्त किया गया था। अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य मे ग्रहण नही होते है। इस तरह के तथ्य आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र मे देखे जाने योग्य नही होते है। इस प्रकार अपीलांट का कथन कि तामिल प्रोपर नही होना गलत एवं निराधार है अपीलांट की दावे मे प्रोपर तामिल हुई है जिस पर उनके द्वारा इंकार करने पर ही तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार टिप्पणी अंकित कर न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनरथ न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी। जबकि स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 27.1.21 को होना स्वयं अपीलांट ने स्वीकृत किया है जिसके पश्चात लगभग 8 माह पश्चात अपीलांट द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र दायर किया गया है जिसके डिले के संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस कारण का उल्लेख नही किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। उक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट व उसकी मां का कोई सरोकार व वास्ता नही है एवं ना ही उस भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक निहित है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र तामिल कुन्निदा को लेकर आक्षेपित किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के कब्जे के संबंध मे किसी प्रकार का कोई कथन साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो0 मूलचंद उर्फ मूडया पुत्र छीतर जाति गुर्जर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा न0 176/12 पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलांट नत्थूसिह पुत्र देवी सिह व रामप्यारी पत्नि देवी सिह की तलबी हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कमांक 4195–99 दिनांक 25.10.12 पर तामिल कुनिन्दा द्वारा स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की गई है कि नत्थूसिह व रामप्यारी द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया , तत्पश्चात तामिल कुनिन्दा द्वारा दो स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति मे नोटिसो को उनके मकान पर चस्पादगी कराई जाकर दो स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर कराये गये है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन गलत एवं निराधार है कि उनकी तामिल प्रोपर नही हुई है। इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 29.11.12 को दिये गये है। अपीलांट का यह भी कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय डिकी की जानकारी समय पर नही होने के कारण बाजदायरी प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नही किया जा सका, जबकि अपीलांट नत्थूसिह ने अपने बाजदायरी प्रार्थना पत्र मे स्वीकृत किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की जानकारी उसे दिनांक 27.1.21 को गैरसायलान द्वारा सायल को भूमि से बेदखल करने पर हुई। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन भी स्वीकृत योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली मे उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से, उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 331/21 मे पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested